

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे, विश्वविद्यालय मार्ग
तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी जनपद नैनीताल 263139
Tel: +91-(5946) -286006,286000
Website: <http://www.uou.ac.in>



Document No-UOU/GM/2025-26/

Date: / /2025

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सामयिक कार्यों के सम्पादन हेतु टैक्सी वाहन व भार वाहक वाहन दैनिक आधार पर आपूर्ति किये जाने हेतु ई-निविदा सूचना

आमंत्रण सूचना

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सामयिक कार्यों के सम्पादन हेतु यात्री टैक्सी वाहन एवं भार वाहक वाहन दैनिक आधार पर आपूर्ति जाने हेतु निविदा हेतु अर्ह एवं इच्छुक फर्म की विस्तृत जानकारी, प्रारूप तथा शर्तें वेबसाइट www.uou.ac.in/ UKTENDER.Gov.in पर देख सकते हैं।


अध्यक्ष,
केन्द्रीय क्रय समिति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, तीनपानी बाइपास, हल्द्वानी, नैनीताल-263139

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के सामयिक कार्यों के सम्पादन हेतु टैक्सी व वाहन भार वाहन दैनिक आधार पर आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा प्रपत्र का मूल्य	RS.500+18% GST (590.00 रु0 मात्र)
धरोहर राशि	RS.50000.00
निविदा दस्तावेजों को वेबसाइट से अपलोड करने की तिथि	05/08/2025
निविदा दस्तावेजों को स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के माध्यम विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	18/08/2025
तकनीकी बिड को खोलने की तिथि	19/08/2025

निविदादाता

नियम एवं शर्तें:-

- वर्तमान निविदादाता के सापेक्ष प्रतिक्रिया बोली प्रणाली (तकनीकी) प्रारूप से की जा सकेगी। तकनीकी बिड का प्रारूप एवं समस्त वांछित अभिलेख जमा किये जाने आवश्यक हैं, अन्यथा तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी। (प्रारूप, संलग्नक 1)
- निविदादाता फर्म को इस आशय का शपथ पत्र रु0 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। उक्त शपथ पत्र की स्कैन सॉफ्ट कॉपी संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। (प्रारूप, संलग्नक-2)
- निविदादाता प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त सफल निविदादाता द्वारा धनराशि रु0 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना होगा जिसका प्रारूप निविदा खुलने के उपरान्त सम्बन्धित फर्म को दिया जाएगा।
- अमानत राशि रु0-50000.00 (ई0एम0डी0) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी को देय होगा। बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन भुगतान रसीद के द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ, संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
- सफल निविदादाता की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जायेगा और निविदा की संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदादातों की अमानत राशि, सफल निविदादाता फर्मों के साथ अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त वापस कर दी जावेगी।
- यदि तकनीकी बिड का प्रारूप तथा उसके संलग्नक अपूर्ण पाये जाते हैं, तो सम्बन्धित निविदादाता की तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

7. निविदादाता के द्वारा तकनीकी बिड में वांछित अभिलेखों को क्रमवार संलग्न कर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
8. यदि किसी कारणवश निविदादाता चयन किये जाने के दिवस को अवकाश घोषित होता है, तो उस स्थिति में अगले कार्यदिवस में दस्तावेज चेक किये जायेंगे।
9. निविदादाता में उल्लिखित वाहन की आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, अतः निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास इस कार्य हेतु पर्याप्त वाहन सामर्थ्य तथा अनुभव है। कार्यदेश निर्गत होने के उपरान्त यदि कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है अथवा आंशिक कार्य करने के उपरान्त यदि कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
10. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक अथवा समस्त प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है। साथ ही बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा पुनः नवीन निविदा आमंत्रित करने हेतु स्वतन्त्र है।
11. निविदादाता की ओर से किसी प्रकार के नियम अथवा शर्त अधिरोपित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा। जमा किये गये दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मुहर तथा फर्म के मालिक/साझेदार के हस्ताक्षर अंकित होने अनिवार्य है।
12. सफल निविदादाता को अनुबन्ध के समय कार्य प्रतिभूति के रूप में ₹0 200000.00 (₹0 दो लाख रु. 0मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
13. वाहन उपयोग हेतु प्रतिदिन न्यूनतम 200 कि०मी० तक की दूरी तथा 300 ₹0 प्रति रात्री विश्राम दर देय होगी।
14. निविदादाताद्वारा संलग्न प्रपत्र स्पष्ट रूप से भरे होने चाहिए, अधूरे प्रपत्र एवं कटिंग (ओवर राइटिंग) वाली दस्तावेज मान्य नहीं होगी।
15. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि यदि निविदादातानिर्धारित अवधि में वाहनों की आपूर्ति नहीं करता है, तो जैसा वह उचित समझे निविदादाता के विरुद्ध निर्णय ले सकता है, जिसमें कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करना भी सम्मिलित है।
16. निविदादाता से अनुबन्ध की तिथि से 01 वर्ष हेतु वैध तथा स्थिर रहेंगी। पारस्परिक सहमति के आधार पर अनुबन्ध अग्रेतर बढ़ाया जा सकेगा।
17. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदादाता के आवेदन को निरस्त कर सकता है।
18. निविदादाता को कार्यदेश मिलने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य को किसी दूसरी फर्म/तृतीय पक्ष को किराए/पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदादाता की प्रतिभूति/कार्य प्रतिभूति जब्त कर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. फर्म के वाहन चालको को पर्वतीय स्थानों में वाहन चालक का अनुभव तथा स्थानों की भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए।

20. यात्रा के दौरान वाहन में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से वाहन में खराबी अथवा दुर्घटना की स्थिति में फर्म को तत्काल दूसरे वाहन की आपूर्ति करनी होगी।
21. किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
22. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।
23. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) तथा अघतन होना चाहिए। जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगी।
24. वाहन चालक का (भत्ता, भोजन, रूकने) से सम्बन्धित व्यय का वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
25. वाहन की मरम्मत रख-रखाव एवं समस्त खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख-रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिए जाने की स्थिति में मालिक द्वारा दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था निविदाकर्ता फर्म को करना होगा।
26. किराये पर लिए गये वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जायेगा उनके बदले दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जाना होगा अन्यथा वि०वि० द्वारा स्वयं अन्य जगह से वाहन लेने पर उनका किराया अनुबंधित फर्म के बीजक में समायोजित कर लिया जायेगा।
27. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को वापस कर दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।
28. स्वीकृति दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान की होगी, अनुपलब्धता/विलंब तथा असंतुष्टि की स्थिति में फर्म/संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये अपात्र(BLACK Listed)घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जायेगा। तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं EMD राशि जब्त कर ली जायेगी।
29. किसी भी विवाद की स्थिति में मा० कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
30. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्र मुख्यालय नैनीताल होगा, अन्य किसी भी न्यायालय में विचारार्थ नहीं होगा।

टैक्सी वाहन एवं भारवाहक वाहन हेतु तकनीकी मुल्यांकन न्यूनतम अर्हता :-

1. निविदादाता के पास न्यूनतम वाहन संख्या (टैक्सी परमिट युक्त) 05 अथवा अनुबंधित होनी चाहिए जिसमें से न्यूनतम 05 वाहन निविदाकर्ता, फर्म, कंपनी, संस्था के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित होना चाहिए। (परिवहन विभाग द्वारा जारी जीवित वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
2. निविदाकर्ता का GST पंजीकरण होना चाहिए। (कर विभाग द्वारा जारी की गयी GST पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
3. संस्था में वाहन चालकों की न्यूनतम संख्या 05 होनी चाहिए। जिनका वैध वाहन चालक अनुज्ञा होनी चाहिए। (अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि संलग्न करें।)
4. निविदादाता का वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में प्रत्येक वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर रु0 500000/- (रु0-पाँच लाख मात्र) से कम नहीं होना चाहिए। वार्षिक आय विवरण/प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है। (विगत 3 वित्तीय वर्ष का औसत [CA सर्टिफिकेट/ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।])
5. निविदादाता को कार्यादेश मिलने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य को किसी दूसरी फर्म/तृतीय पक्ष को किराए/पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा प्रतिभूति/कार्य प्रतिभूति जब्त कर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी।
6. फर्म के वाहन चालकों को पर्वतीय स्थानों में वाहन चालक का अनुभव तथा स्थानों की भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए।
7. यात्रा के दौरान वाहन में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से वाहन में खराबी अथवा दुर्घटना की स्थिति में फर्म को तत्काल दुसरे वाहन की आपूर्ति करनी होगी।
8. वाहन का मेक वर्ष 2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
9. किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
10. वाहनों में जी0पी0एस0 होना अनिवार्य होगा जी0पी0एस0 न होने की स्थिति में वाहन नहीं लिया जायेगा।
11. निविदादाता के पास न्यूनतम वाहन संख्या (टैक्सी परमिट युक्त) 05 होनी चाहिए जो निविदाकर्ता, फर्म, कम्पनी, संस्था के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित होनी चाहिए। (परिवहन विभाग के द्वारा जारी जीवित वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना होगा।)


अध्यक्ष,
केन्द्रीय क्रय समिति

टैक्सी वाहन हेतु तकनीकी मूल्यांकन हेतु प्रारूप
(तकनीकी मूल्यांकन हेतु न्यूनतम अर्हता)

क्रम	विवरण	विवरण	संलग्नक क्रमांक								
1.	फर्म / कंपनी का नाम										
2.	निविदादाता फर्म नाम तथा पता										
3.	मोबाईल नंबर										
4.	जी0एस0टी0 नंबर										
5.	ईमेल आडी										
6.	पैन नंबर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)										
7.	फर्म/संस्था/कंपनी पंजीकरण क्रमांक/वर्ष (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)										
8.	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि के रूप में रु0 590/- की राशि जमा कराने का विवरण जमा रसीद										
9.	धनविदादाता फर्म को किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट न किये जाने सम्बन्धी शपथपत्र की छाया प्रति संलग्न करें।										
10.	धनविदादाता फर्म के वार्षिक टर्नओवर सम्बन्धी सी0ए0 के प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करें (प्रत्येक वर्ष में रु0 /- से कम नहीं होना चाहिए)	<table><tr><th>Financial Year</th><th>Turn Over</th></tr><tr><td>2021-22</td><td></td></tr><tr><td>2022-23</td><td></td></tr><tr><td>2023-24</td><td></td></tr></table>	Financial Year	Turn Over	2021-22		2022-23		2023-24		
Financial Year	Turn Over										
2021-22											
2022-23											
2023-24											
11.	निविदादाता फर्म के आयकर रिटर्न जमा करने सम्बन्धी प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें।	<table><tr><td>Assessment Year 2022-23</td><td></td></tr><tr><td>Assessment Year 2023-24</td><td></td></tr><tr><td>Assessment Year 2024-25</td><td></td></tr></table>	Assessment Year 2022-23		Assessment Year 2023-24		Assessment Year 2024-25				
Assessment Year 2022-23											
Assessment Year 2023-24											
Assessment Year 2024-25											
12.	निविदादाता फर्म द्वारा पूर्व में शासकीय संस्थानों में किये गये कार्य/अनुभव प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करें।										
13.	फर्म के पास 05 वाहन होने सम्बंधित शपथ पत्र संलग्न										

हस्ताक्षर निविदादाता मुहर

PROFORMA FOR NON BLACKLISTING AFFIDAVIT

(To be submitted on Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)

UNDERTAKING

I/we do hereby declare that our firm is not black listed or debarred or prohibited by Government of Uttarakhand /Government of India or any State Government / Board / Universities, since in caption of the Firm Company, and no enquiry is pending against my/our firm/company and no criminal case is pending against the firm/company.

I further undertake and understand that if above declaration proves to be wrong/ incorrect or misleading, our tender/ contract stands to be cancelled/ terminated.

Signature of Authorized Person

Name and seal of the firm

Date:/...../2025

Contact Number.

